

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2019—ज्येष्ठ 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्र. एफ ए-3-02-2017-1-पाँच (48).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109-ए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-19-2017-1-पाँच (28) दिनांक 24 जून 2017 एवं एफ ए 3-21-2017-1-पाँच (30), दिनांक 24 जून 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-02-2017-1-पाँच (46), दिनांक 16 मई 2018 को संशोधित करती है, यथा:—

— ; संशोधन :—

उक्त अधिसूचना में दी गई सारणी को नीचे दी गई सारणी से प्रतिस्थापित किया जाए—

—सारणी—

अनु क्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) / संयुक्त आयुक्त (अपील) के क्षेत्र में शामिल क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मिरा कुमार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, इंदौर	इंदौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग
2.	श्री एस.डी. रिछारिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल)	भोपाल संभाग एवं सागर संभाग
3.	श्री पी.के. सिंह	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (कार्यालय परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर परिक्षेत्र—भोपाल)	ग्वालियर संभाग एवं छिंदवाड़ा संभाग

4.	श्री एच.एस. ठाकुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर भोपाल संभाग)	जबलपुर संभाग एवं सतना संभाग
5.	श्री आनंद भार्गव	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, (अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर इंदौर संभाग-1)	इंदौर संभाग-1, रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग
6.	सुश्री इंदु जैन	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय इंदौर	इंदौर संभाग-3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्र. एफ ए 3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ ए 3-02-2017-1-पांच (48), दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपसचिव.

Bhopal, the 20th June 2019

F A 3-02/2017/1/V (48) : In exercise of the powers conferred by section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with Rule 109A of Madhya Pradesh Goods and Services Tax, Rule 2017 and notification No. F A 3-19/2017/1/V (28) dated 24 June, 2017 and No. F A 3-21/2017/1/V (30) dated 24 June, 2017 of this department, the State Government hereby amends this department's notification No. F A 3-02/2017/1/V (46) dated 16 May, 2018, namely-

Amendments

The Table given in said notification shall be substituted by the table given below, -

-Table-

S.No.	Name of the Officer	Designation of the Officer	Area (Territorial Jurisdiction)- Area comprising the area of joint commissioner (appeals)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Mirra Kumhar	Joint Commissioner of State Tax, Headquarters Indore	Indore Division-2 and Ujjain Division
2.	Shri S.D. Richharia	Joint Commissioner of State Tax, (Tax Audit Wing, Bhopal)	Bhopal Division and Sagar Division
3.	Shri P.K. Singh	Joint Commissioner of State Tax, (Office of The Zonal Additional Commissioner, Commercial Tax, Zone-Bhopal)	Gwalior Division And Chhindwara Division

4.	Shri H.S. Thakur	Joint Commissioner of State Tax, (Appellate Authority of Commercial Tax, Bhopal Division).	Jabalpur Division and Satna Division
5.	Shri Anand Bhargava	Joint Commissioner of State Tax, (Appellate Authority of Commercial Tax, Indore Division-1)	Indore Division-1, Ratlam Division and Khandwa Division
6.	Sushri Indu Jain	Joint Commissioner of State Tax, Headquarters Indore	Indore Division-3

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
Dy. Secy.